प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक 26.05.2026

स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

रोड की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण पर निगम की कार्रवाई, जेसीबी से हटाया अतिक्रमण भिलाईनगर।

नगर पालिक निगम भिलाई के जोन-2 वैशाली नगर क्षेत्रांतर्गत अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निगम प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई। निगम की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी के माध्यम से रोड एवं रास्ते की भूमि पर किए जा रहे अवैध निर्माण को हटाया।

निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय को प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीमती एन. संतोषी एवं एन. शैलजा पति एन. धनराजु, निवासी राजीव आवास निवासी कोहका कैलाश नगर कुरूद भिलाई द्वारा प्लाट खसरा नंबर 1606/109 एवं 1606/110 में बिना भवन अनुज्ञा के रोड एवं रास्ते की भूमि पर अवैध निर्माण कार्य कराया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर निगम प्रशासन द्वारा संबंधित पक्षों को स्वयं अवैध निर्माण हटाकर निगम को सूचित करने निर्देशित किया गया था। इसके बावजूद संबंधितों द्वारा कोई समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके बाद आज जोन-2 राजस्व विभाग, बेदखली टीम एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में अवैध अतिक्रमण एवं बिना अनुमति निर्माण के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक मार्ग एवं शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

संलग्न-फोटो जनसम्पर्क अधिकारी